सं0-636 / XXVIII -5-2005-201 / 2004

प्रेषक,

[illegible]

[illegible] सचिव

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,

देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-5 देहरादून: दिनांक : 29 दिसम्बर 2005

विषयः राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय दसऊ जनपद देहरादून के भवन निर्माण कार्य के पूर्ण करने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-75 / 1 / एस0ए0डी0 / 28 / 2004 / 25405 दिनांक 17.11.2005 के संदर्भ में तथा शासनादेश सं0-1075 / चि0-5-2004-201 / 2004 दिनांक 01.03.2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2005-2006 में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय दसऊ जनपद देहरादून के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु [illegible] रू0 15,75,000.00 (रू0 पन्द्रह लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की [illegible] स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- [illegible] मद पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा [illegible] कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जाएगा। स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेश की सभी शर्तें [illegible] रहेंगी।

3- [illegible] धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित की जायेगी तथा निर्माण इकाई परियोजना [illegible] विकास एवं निर्माण निगम [illegible] को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य प्रारंभ [illegible] से पूर्व [illegible] का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपभोग [illegible] में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा । अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा [illegible] नहीं [illegible] जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बंधित वाउचर संख्या व दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध [illegible] जायेगी।

5- स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बंधित [illegible] में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट [illegible] द्वारा [illegible] के संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया [illegible] किया जायेगा।

6- [illegible] योजनाओं में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृति की जा रही है।

7- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह की 07 [illegible] को उपलब्ध करायी जायेगी।

8- [illegible] वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या -12 लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा [illegible] पर पूंजीगत परिव्यय-02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-110- अस्पताल तथा औषधालय, [illegible] योजना, 02-राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण पूर्ण [illegible] के नामे डाला जायेगा।

... विभाग के शासनादेश सं0–477 /वित्त अनुभाग–3/2005 दिनांक 27.12.2005

... से जारी किये जा रहे है ।

... संलग्नक

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

.../2004 –6–2004–231/2004 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल देहरादून।
3– कोषाधिकारी, देहरादून।
4– आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल उत्तरांचल ।
5– जिलाधिकारी, देहरादून।
6– महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल ।
7– प्रबन्ध निदेशक, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम उत्तरांचल ।
8– ... नियोजन व ... निदेशालय सचिवालय देहरादून ।
9– निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री।
10– वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
11– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

शासनादेश संख्या [illegible]/XXVIII-5-2005-201/2003 दिनांक [illegible].1.2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र.सं.	योजना का नाम	निर्माण इकाई	लागत	अब तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2005-06 में अवमुक्त धनराशि
1	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय [illegible] [illegible] का भवन निर्माण।	पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम उत्तरांचल	25.75	10.00	15.75
		योग	25.75	10.00	15.75

(रू0 पंद्रह लाख पिचहत्तर हजार मात्र)

(अतर सिंह)
उप सचिव

शा0 सं0-[illegible]/अड़तीस-6-2003-201/2003 दिनांक 08.1.2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0सं0	योजना का नाम	निर्माण इकाई	लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2005-06 में स्वीकृत धनराशि
1	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय [illegible] का भवन निर्माण।	पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम उत्तरांचल	25.75	10.00	15.75
		योग	25.75	10.00	15.75

(रु0 पन्द्रह लाख पिचहत्तर हजार मात्र)

(अतर सिंह)
उप सचिव